जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनाँक 24.08.2025

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 474 वाहनों से 4,91,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 24.08.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 474 वाहनों से 4,91,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 350 ग्राम अवैध गाँजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्वदवन सिंह* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल *श्री सतीश कुमार सिंह* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त राजेन्दर पुत्र हरिहर निवासी मोहल्ला ठाकुरद्वारा थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को आज दिनांक 24.08.2025 को ठाकुरद्वारा पोखरे के पास से कुल 350 ग्राम अवैध गाँजा के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण*-**

राजेन्दर पुत्र हरिहर निवासी मोहल्ला ठाकुरद्वारा थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर।

***पंजीकृत अभियोग*–** मु0अ0स0 324/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।

***बरामदगी*-** कुल 350 ग्राम अवैध गाँजा।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल*-** उ0नि0 श्री रामाश्रय प्रसाद, हे0का0 मोतीलाल यादव, हे0का0 अजय सिंह, का0 अनुराग सिंह।

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 400 ग्राम अवैध गाँजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली ***श्री रजनीश राय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति के दौरान अभियुक्त 1. सरफुद्दीन पुत्र किशनदार उर्फ ईशीमदार निवासी रेवटा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 25.08.2025 को वहदग्राम साखी के पास से कुल 400 ग्राम अवैध गाँजा के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सरफुद्दीन पुत्र किशनदार उर्फ ईशीमदार निवासी रेवटा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0स0 311/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- कुल 400 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री ललितकान्त यादव, का0 राहुल प्रसाद, का0 सन्नी यादव, का0 अंकित पटेल।

आगामी त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत थाना धर्मसिंहवा पर की गई पीस कमेटी की मीटिंग, लोगों से आपसी सौहार्द व भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की गयी अपील

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में आगामी त्यौहार गणेश चतुर्थी, कजरी तीज, रबी-उल-अव्वल तथा विश्वकर्मा पूजा को सकुशल संपन्न कराने, सुरक्षा व कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने तथा शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 25.08.2025 को थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा *श्री अभिमन्यु सिंह* द्वारा थाना धर्मसिंहवा पर पीस कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग के दौरान उपस्थित लोगों से त्योहार के दौरान आने वाली समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये, साथ ही मीटिंग में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों व समाजसेवियों से अपील की गयी कि सभी लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखें, साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों किसी भी प्रकार की आपराधिक अवांछित गतिविधियां दिखाई देने पर इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें, किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें बल्कि अफवाह की पुष्टि उच्चाधिकारियों से करें तथा जिले में सौहार्दपूर्ण वातावरण का माहौल बनाये रखने में पुलिस व प्रशासन का सहयोग करें साथ ही सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट न करें जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों तथा किसी भी प्रकार की भड़काऊ/गलत/अशोभनीय पोस्ट शेयर न करें, लोगों से शांति व आपसी सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने की अपील की गई तथा त्यौहार के दौरान गड़बड़ी पैदा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही हेतु सख्त हिदायत दिया गया।